क्रम-संख्या—273

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 दिसम्बर, 2004

अग्रहायण 15, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1570/सात-वि-1—1(क) 35-2004

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2004

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2004]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 11 अक्टूबर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:–

"(क) किसी अध्यापक के सम्बन्ध में 'नियुक्ति' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 60-ङ के अधीन वर्णित किसी स्वीकृत पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी सहायता-अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित किसी महाविद्यालय में की गयी नियुक्ति नहीं है।"

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) 'महाविद्यालय' का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता का विशेषाधिकार दिया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित कोई महाविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित कोई महाविद्यालय अथवा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (18) में यथापरिभाषित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित करने वाला महाविद्यालय नहीं है।"

धारा 12 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 12 में,–

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :–

"परन्तु किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई स्थायी अध्यापक, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो और जो किसी अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरण चाहता हो, एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में नियमों द्वारा विहित रीति से केवल तभी स्थानान्तरित किया जा सकता है जब सम्बन्धित महाविद्यालयों के सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र लिखित रूप में अपनी-अपनी सहमति दे दें।"

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(1-क) किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के होते हुए भी किसी अध्यापक को, जो शासनादेश संख्या 429 शिक्षा मंत्री/सत्तर 6-98-15-95, दिनांक 17 अगस्त, 1998 अथवा संख्या 393/सत्तर 1-99-15(6)-99, दिनांक 28 अक्टूबर, 1999 के अनुसरण में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो, विधिमान्य रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा, मानो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

धारा 24 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"24—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और पोषित किसी महाविद्यालय में किसी अध्यापक की नियुक्ति जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त इस धारा के उपबन्धों के अनुसार न करके अन्यथा की गयी हो, केवल इस आधार पर कि ऐसी नियुक्ति उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त इस धारा के उपबन्धों के अनुसार नहीं की गयी थी, अविधिमान्य या कभी भी अविधिमान्य हुई नहीं समझी जाएगी, मानो उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2004

5—(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अधीन की जाती है। राज्य के अध्यापक संघों की मांग पर दिनांक 17 अगस्त, 1998 को एक शासनादेश जारी करके महाविद्यालयों के अध्यापकों को कतिपय शर्तों के अधीन पारस्परिक/एकल स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान की गयी थी। किन्तु एक रिट याचिका में उक्त शासनादेश को मा० उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर शून्य घोषित कर दिया गया था कि उक्त अधिनियम में स्थानान्तरण का कोई प्राविधान नहीं है। चूंकि राज्य सरकार की यह राय थी कि अध्यापक संघों की मांग तर्कसंगत थी, अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम में संशोधन करके ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों को पारस्परिक/एकल स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान की जाय।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 24 में यह व्यवस्था थी कि धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और पोषित किसी महाविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें आयोग और सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से विनियमित होंगी। चूंकि आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने में अध्यापकों की नियुक्ति में विलम्ब हो रहा था, अतएव, यह भी विनिश्चय किया गया कि उक्त धारा 24 को संशोधित करके उक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने सम्बन्धी व्यवस्था को हटा दिया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1570/VII-V-1–1(KA) 35-2004

Dated Lucknow, December 6, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Ayog (Diwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 3, 2004 :

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT no. 30 of 2004)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 11, 2004.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 16 of 1980

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) for clause *(a)* the following clause shall be *substituted,* namely:–

"*(a)* 'Appointment' in relation to a teacher means the appointment of a person to a sanctioned post described under section 60-E of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, excluding the appointment in a grant-in-aid college established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution or a college exclusively maintained by the State Government."

(b) for clause *(c)* the following clause shall be *substituted,* namely:–

"*(c)* 'College' means an affiliated or associated college to which the privilege of affiliation has been granted by a University governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, excluding a college established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution or a college exclusively maintained by the State Government or a college running self finance course as defined in clause (18) of section 2 of the Uttar Pradesh State University Act, 1973."

Amendment of section 12

3. In section 12 of the principle Act,–

(a) in sub-section (1) the following provisio shall be *inserted* at the end, namely :

"Provided that a permanent teacher of a affiliated or associated college, who has been appointed in accordance with the provisions of this Act and has completed ten years' service as such and who wishes to be transferred to any other college, may be transferred in the manner prescribed by rules from one college to another, only when the respective management of the colleges concerned give their consents in writing."

(b) After sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted,* namely:–

"(1-a) Notwithstanding any decree or order of a court, a teacher who has been appointed as such by transfer from one college to another in pursuance of the Government Orders no. 429 Shiksha Mantri/Sattar-6-98-15-95, dated August 17, 1998 or no. 393/Sattar-1-99-15(6)-99, dated October 28, 1999 shall be deemed to have been validly appointed as if the provisions of the principal Act as amended by the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2004 were in force at all material times."

Amendment of section 24

4. *For* section 24 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely :–

"24. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, no appointment of a teacher in a college established and maintained by a Minority based on religion or language made otherwise than in accordance with the provisions of this section as it was in force immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2004 shall be deemed to be invalid or ever to have become invalid merely on the ground that such appointment was not made in accordance with the provisions of this section, as it was in force immediately before the commencement of the said Act as if the provisions of this Act as amended by the said Act were in force at all material times."

U.P. Ordinance no. 14 of 2004

Repeal and saving

5. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done by any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The appointment of teachers in grant-in-aid degree Colleges of the State is made under the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980. On the demand of the teachers associations of the State the teachers of degree colleges were given the facility of mutual/single transfer under certain conditions by issuing a Government order on August 17, 1998. But in a writ petition the said Government order was declared void by the Hon'ble High Court on the ground that there is no provision of transfer in the said Act. Since the State Government was of the option that the demand of the teachers associations was reasonable, it was decided to amend the said Act to provide for giving the facility of mutual/single transfer to the teachers of such degree colleges.

In section 24 of the aforesaid Act it was provided that the appointment and conditions of service of teachers in the degree colleges established and maintained by Minorities based on religion or language shall be regulated with the approval of the Commission and the concerned University. Since the appointment of teachers was being delayed in obtaining the approval of the Commission, it was further decided to amend the said section 24 to omit the provision for obtaining the approval of the Commission for the appointment of the said teachers.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions, the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Ordinance, 2004 (U.P. Ordinance no. 14 of 2004) was promulgated by the Governor on October 11, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 728 राजपत्र–2004–(1790)–597–कम्प्यूटर/आफसेट।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 203 सा० विधायी–2004–(1791)–850–कम्प्यूटर/आफसेट।